मेडिकल स्टोर/उपभोज्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए फर्म के नए पंजीकरण/नवीकरण से संबंधित सामान्य और अनिवार्य शर्तें.

1. फर्मों को पंजीकरण के लिए निम्नलिखित को संबोधित करते हुए अपने लेटर हेड पर आवेदन देना होगा.

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, दक्षिण मध्य रेलवे,रेल निलयम, सिकंदराबाद 500025

- 2. आवेदन का प्रारूप दक्षिण मध्य रेलवे की वेबसाइट: <u>www.scrindianrailways.gov.in</u> से डाउनलोड किया जा सकता है. > हमारे बारे में > विभाग > चिकित्सा > द.म. रेलवे पर आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण के लिए आवेदन (मेडिकल स्टोर/उपभोज्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए)
- 3. नीचे दिए गए एक्सेल प्रारूप में उत्पाद सूची की सॉफ्ट कॉपी और पीडीएफ में स्कैन किए गए अन्य दस्तावेजों को भी pharmacyofficercmd@gmail.com पर ईमेल किया जाना चाहिए, जिसमें ईमेल का विषय नया पंजीकरण / पंजीकरण का नवीकरण, फर्म का नाम, उत्पाद सूची और अन्य अनुलग्नक शामिल होना चाहिए.
- 4. मार्केटिंग फर्मीं/अधिकृत डीलरों और स्टॉकिस्टों/आयातकों का पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर 50 लाख रु. और उससे अधिक होना चाहिए.
- 5. फर्म को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म के खिलाफ किसी भी जोनल रेलवे / केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है और यदि घोषणा गलत पाई जाती है, तो फर्म को पूरे भारतीय रेलवे में 3 वर्षों के लिए सूची से बाहर किया जा सकता है.
- 6. उत्पादों के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए.
- 7. विनिर्माण इकाइयों के पास आईएसओ/सीई/बीआईएस/एफडीए और अन्य प्रमाणपत्र होने चाहिए.

इस रेलवे द्वारा आवश्यक मेडिकल स्टोर/उपभोज्य वस्तुओं की सूची वेबसाइट www. scr Indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है हमारे बारे में > विभाग > चिकित्सा "इस रेलवे द्वारा आवश्यक मेडिकल स्टोर/उपभोज्य वस्तुओं की सूची. आपकी उत्पाद सूची की वस्तुएं इस रेलवे की आवश्यकता के विनिर्देशन से मेल खानी चाहिए और नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया हो.

क्र.सं.	मद कोड	मद से संबंधित रेलवे का विवरण/विशिष्टि	फर्म की विशिष्टि	ब्रांड नाम	पते सहित निर्माता.
कुल					
कुल संख्या					

दिनांक:

(फर्म के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर) अधिकारी का नाम: पते के साथ फर्म का रबड़ स्टांप

संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम पदनाम ईमेल आईडी

पंजीकरण के लिए सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ आवेदन इस कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए. पंजीकरण स्वीकृत होने पर 5000/- रु पंजीकरण शुल्क लिया जायेगा जो 3 वर्ष के लिए वैध होगा. 3 वर्ष पूरे होने पर, प्रारंभिक औपचारिकताओं के अनुसार अपना पंजीकरण का नवीकरण कर सकते हैं.

GENERAL AND MANDATORY CONDITIONS FOR FRESH REGISTRATION / RENEWAL OF FIRM FOR SUPPLY OF MEDICAL STORES / CONSUMABLES

1. Firms shall apply for registration on the letter head of the firm, addressing their letter to :

Principal Chief Medical Director, South Central Railway, Railnilayam Secunderabad 500025

- The application format can be downloaded from the South Central Railway website: <u>www.scr.indianrailways.gov.in</u> > About us > departments > Medical > Application for registration of Suppliers on S.C.Railway (for supply of Medical Stores/Consumables)
- A soft copy of the product list in excel format given below and other documents scanned to PDF should also be emailed to pharmacyofficer.cmd@gmail.com with a subject of the email as FRESH / RENEWAL OF REGISTRATION _FIRM NAME_PRODUCT LIST AND OTHER ANNEXURES
- 4. The average Annual Turnover for the past 3 years of Marketing firms / Authorized dealers & Stockists /Importers should be Rs.50 lakhs and above.
- 5. Firm should submit a declaration that there is no punitive action taken against the firm by any Zonal Railway / Central Government / State Government and if the declaration is found wrong, the firm can be delisted for 3 years all over Indian Railways.
- 6. The Products should have Valid License.
- 7. The manufacturing units should have ISO/CE/BIS/FDA and other certificates.

 The list of Medical Stores / Consumables required by this railway is available on the website
 www.scr.indianrailways.gov.in > About us > departments > Medical >"List of Medical
 Stores/Consumable items required by this railway. The items of your product list should match the
 specification of this Railway's requirement and submitted for registration as per the format given
 below:

Sn	Item Code	Railway's description/specification of the item	Firm's specification	Brand Name	Manufacturer with address.
Total No.					

Date

(Signature of the Authorized Official of the Firm)

Name of the official:

Firm's rubber stamp with address

Name of the Person to be contacted:

Designation:

Email ID

The application with all the relevant particulars should be submitted to this office for registration. On approval of registration, registration fee of Rs.5000/- will be collected which will be valid for 3 years. On completion of 3 years, you can renew your registration as per the initial formalities.

24)/1020